राजस्थान सरकार
निदेशालय, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, राजस्थान जयपुर।

क्रमांकः– एफएसएसए/2014/768 **दिनांकः– 16/9/14**

समस्त अभिहित अधिकारी,
राजस्थान।

विषयः– समय पर एफएसएस एक्ट के तहत् कियान्विति/विधानसभा के प्रश्नों का जवाब नहीं भिजवानें के सम्बंध में।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम के तहत् आपके कार्यालय एफएसएसए के कार्य हेतु कम्प्यूटर मशीन विथ मैन लगाने हेतु बजट मद 2210–06–107–(01)–[00]–05 कार्यालय व्यय एवं 41–संविदा व्यय मद से उपलब्ध कराया गया है। फिर भी आप द्वारा समय पर एफएसएस एक्ट के तहत् कियान्विति/विधानसभा के प्रश्नों का जवाब नहीं भिजवायें जातें है। यदि आपके कार्यालय में कम्प्यूटर मशीन विथ मैन नहीं है तो तुरन्त सूचना भिजवावें यदि है तो एफएसएस एक्ट के तहत् सूचना विलम्ब से भिजवानें के लिये कौन कर्मचारी/अधिकारी जिम्मेदार है के नाम से अवगत करावें।

साथ ही कम्प्यूटर मशीन विथ मैन की सूचना निम्न प्रपत्र में उपलब्ध करावें।

कं0 सं0	जोन/जिले का नाम	ऐजेन्सी का नाम	कम्प्यूटर मशीन विथ मैन का नाम	मोबाईल नं0	कब से कार्यरत है (दिनांक)

आयुक्त (खाद्य सुरक्षा) एवं
निदेशक (जन स्वास्थ्य)
चिकित्सा एंव स्वास्थ्य सेवायें,
राजस्थान जयपुर।

कमांकः– एफएसएसए/2014/ **दिनांकः–**

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

01. अति0 निदेशक (ग्रा0 स्वा0), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें राजस्थान।
02. संयुक्त निदेशक (ग्रा0 स्वा0) एवं नोडल अधिकारी (एफएसएसए), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें राजस्थान।
03. मुख्य खाद्य विश्लेषक, केन्द्रीय जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला जयपुर।
04. समस्त जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला, राजस्थान।
05. प्रभारी, केन्द्रीय दल मुख्यालय को तुरन्त पालनार्थ।
06. समस्त अधिकृत खाद्य सुरक्षा अधिकारी राजस्थान।
07. प्रभारी सर्वर रूम मुख्यालय को भेजकर लेख है कि विभाग की वेबसाईट पर अपलोड करे।
08. आदेश/रक्षित पत्रावली।

आयुक्त (खाद्य सुरक्षा) एवं
निदेशक (जन स्वास्थ्य)
चिकित्सा एंव स्वास्थ्य सेवायें,
राजस्थान जयपुर।